"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 551] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 नवम्बर 2014— कार्तिक 12, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (1). — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत, रजगामार (सीटी नगर), जिला कोरबा को नगर पंचायत, रजगामार (सीटी नगर) गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, रजगामार (सीटी नगर) का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	रजगामार (सीटी नगर)	11544

अनुसूची-2

रजगामार (सीटी नगर) नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत रजगामार (सीटी नगर) की सीमाएं ही नगर पंचायत, रजगामार (सीटी नगर) की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला कोरबा को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (1), दिनांक 03-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-72/2014/18 (1). — In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby signify their intention to constitute a Village/Nagar Panchayat Rajgamar (Citynagar) in place of Gram Panchayat Rajgamar (Citynagar), District-Korba, as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Rajgamar (Citynagar) is as under :-

S. No. (1)	Name of village (2)	Population (3)
1.	Rajgamar (Citynagar)	11544

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Rajgamar (Citynagar) is as below :-

The Boundaries of Nagar Panchayat Rajgamar (Citynagar) shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Rajgamar (Citynagar).

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, Korba, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (2). — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत, लिंगियाडीह, जिला बिलासपुर को नगर पंचायत, लिंगियाडीह गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, लिंगियाडीह का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	लिंगियाडीह	22209

अनुसूची-2

लिंगियाडीह, नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत लिंगियाडीह की सीमाएं ही नगर पंचायत, लिंगियाडीह की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला बिलासपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (2), दिनांक 03-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-72/2014/18 (2).— In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby signify their intention to constitute a Village/Nagar Panchayat Lingiyadih in place of Gram Panchayat Lingiyadih, District-Bilaspur, as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Lingiyadih is as under :-

S. No. (1)	Name of village (2)	Population (3)
1.	Lingiyadih	22209

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Lingiyadih is as below :-

The Boundaries of Nagar Panchayat Lingiyadih shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Lingiyadih.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, Bilaspur, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (3). — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत, देवरीखुर्द, जिला बिलासपुर को नगर पंचायत, देवरीखुर्द गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, देवरीखुर्द का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	देवरीखुर्द	17265

अनुसूची-2

देवरीखुर्द, नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत देवरीखुर्द की सीमाएं ही नगर पंचायत, देवरीखुर्द की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला बिलासपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (3). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (3), दिनांक 03-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-72/2014/18 (3). — In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby signify their intention to constitute a Village/Nagar Panchayat Devrikhurd in place of Gram Panchayat Devrikhurd, District-Bilaspur, as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Devrikhurd is as under :-

S. No. (1)	Name of village (2)	Population (3)
1.	Devrikhurd	17265

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Devrikhurd is as below :-

The Boundaries of Nagar Panchayat Devrikhurd shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Devrikhurd.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, Bilaspur, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (4). — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत, मंगला (बी), जिला बिलासपुर को नगर पंचायत, मंगला (बी) गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, मंगला (बी) का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	जनसंख्या
(1)	(2)	(3)
1.	मंगला (बी)	14990

अनुसूची-2

मंगला (बी), नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत मंगला (बी) की सीमाएं ही नगर पंचायत, मंगला (बी) की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला बिलासपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (4). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (4), दिनांक 03-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-72/2014/18 (4). — In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby signify their intention to constitute a Village/Gram Panchayat Mangla (B) in place of Nagar Panchayat Mangla (B), District-Bilaspur, as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Mangla (B) is as under :-

S. No. (1)	Name of village (2)	Population (3)
1.	Mangla (B)	14990

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Mangla (B) is as below :-

The Boundaries of Nagar Panchayat Mangla (B) shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Mangla (B).

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, Bilaspur, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (5). — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत, पिपरा, जिला कोण्डागांव को नगर पंचायत, पिपरा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, पिपरा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	पिपरा	11728

अनुसूची-2

पिपरा, नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत पिपरा की सीमाएं ही नगर पंचायत, पिपरा की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला कोण्डागांव को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (5). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (5), दिनांक 03-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-72/2014/18 (5). — In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby signify their intention to constitute a Village/Nagar Panchayat Pipra in place of Gram Panchayat Pipra, District-Kondagoan, as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Pipra is as under :-

S. No. (1)	Name of village (2)	Population (3)
1.	Pipra	11728

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Pipra is as below :-

The Boundaries of Nagar Panchayat Pipra shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Pipra.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, Kondagoan, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (6). — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत, सिलतरा, जिला रायपुर को नगर पंचायत, सिलतरा गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, सिलतरा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	सिलतरा	10721

अनुसूची-2

सिलतरा, नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत सिलतरा की सीमाएं ही नगर पंचायत, सिलतरा की सीमाएं होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला रायपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (6). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (6), दिनांक 03-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-72/2014/18 (6). — In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby signify their intention to constitute a Village/Nagar Panchayat Siltara in place of Gram Panchayat Siltara, District-Raipur, as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Siltara is as under :-

S. No. (1)	Name of village (2)	Population (3)
1.	Siltara	10721

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Siltara is as below :-

The Boundaries of Nagar Panchayat Siltara shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Siltara.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, Raipur, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (7). — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम/ग्राम पंचायत, मंदिरहसौद, जिला रायपुर को नगर पंचायत, मंदिरहसौद गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है :-

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पंचायत, मंदिरहसौद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	मंदिरहसौद	12807

अनुसूची-2

मंदिरहसौद, नगर पंचायत की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत मंदिरहसौद की सीमाएं ही नगर पंचायत, मंदिरहसौद की सीमाएं ही होगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर जिला रायपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (7). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-72/2014/18 (7), दिनांक 03-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-72/2014/18 (7). — In exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the state Government, hereby signify their intention to constitute a Village/Nagar Panchayat Mandirhasod in place of Gram Panchayat Mandirhasod, District-Raipur, as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the proposed Nagar Panchayat Mandirhasod is as under :-

S. No. (1)	Name of village (2)	Population (3)
1.	Mandirhasod	12807

SCHEDULE-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Mandirhasod is as below :-

The Boundaries of Nagar Panchayat Mandirhasod shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Mandirhasod.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, Raipur, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.